Most urgent
Just now

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःचिप्र/सामान्य/2017/811 दिनांकः 06.11.2017

आदेश

राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 06.11.2017 से सामूहिक त्यागपत्र/अवकाश पर रहने की स्थिति के मध्यनजर आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों में प्रोबेशनरी चिकित्सा अधिकारियों/एनएचएम/एनसीडी/संविदा/यूटीबी एंव अन्य योजनाओं में कार्यरत चिकित्सकों के साथ ही पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थानों में कार्य कर रहे चिकित्सकों को सेवारत चिकित्सकों की वापसी तक एमएलसी/पोस्टमार्टम का कार्य करने हेतु एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से अधिकृत किया जाता है।

राज्य के जिला/सेटेलाईट/उपखण्ड स्तरीय व अन्य चिकित्सालयों एंव मेडिकल कालेज सें संबध अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को निर्देशानुसार आदेशित किया जाता है कि मेडिको–लीगल एंव पोस्टमार्टम से सम्बन्धित केसेज की अविलम्ब रिपोर्ट तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जावें। ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना नही करना पडें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःचिप्र/सामान्य/2017/811 दिनांकः 06.11.2017

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एंव मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
6. निदेशक,(आरसीएच/ईएसआई/एड्स), मुख्यालय।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश सभी सम्बन्धित को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।